अध्याय 7

कृषि और ग्रामीण विकास

रा.रा.क्षे.दिल्ली में तीव्र शहरीकरण और व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र की अन्य आर्थिक गतिविधियों के विकास में बढ़ोतरी के कारण कृषि गतिविधियां लगातार कम हो रही हैं। यहां ग्रामीण गांवों की संख्या 1981 में 214 थी जो 2011 में घटकर 112 रह गयी।

1.2 दिल्ली के सकल राज्य संवर्द्धित मूल्य (जीएसवीए) के प्रतिशत संवितरण में 2011–12 के मूल्यों पर कृषि और अनुषंगी क्षेत्र के योगदान में कमी की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अधिक स्पष्ट करें, तो दिल्ली के सकल राज्य संवर्द्धित मूल्य (जीएसवीए) में कृषि क्षेत्र का योगदान 2011–12 के 0.94 प्रतिशत की तुलना में 2021–22 में घटकर 0.36 प्रतिशत रह गया।

2. जोतों का प्रकार

2.1 दिल्ली में कृषि जोत का प्रकार और कृषि कार्यों के लिए क्षेत्रों के बारे में जानकारी ताजा कृषि गणना 2015–16 के अनुसार उपलब्ध है। दिल्ली में कृषि गणना 2015–16 के अनुसार क्रियाशील कृषि जोतों की कुल संख्या में कृषि गणना 2010–11 की तुलना में 1.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्रियाशील कृषि जोत में 20.35 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि लघु आकार समूह के लिए है और 21. 65 प्रतिशत की अधिकतम कमी मध्यम आकार समूह में है। दिल्ली में कुल क्रियाशील भूमि में 2015–16 की कृषि गणना के अनुसार, 2010–11 की तुलना में कुल क्रियाशील भूमि में 2.21 प्रतिशत की कमी नजर आती है। क्रियाशील कृषि जोत के क्षेत्र में 27.95 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि लघु आकार समूह के लिए है और 19.39 प्रतिशत की अधिकतम कमी मध्यम आकार समूह के लिए है।

3. दिल्ली में भूमि उपयोग का स्वरूप

कुल फसल क्षेत्र जो 2012–13 में 35178 हैक्टेयर था, वह 2020–21 में बढ़ कर 43,569 हैक्टेयर हो गया। इसी प्रकार 2021–22 में अनुमानित सकल फसल क्षेत्र बढ़कर 47,850 हैक्टेयर हो गया। दिल्ली के बाकी क्षेत्र अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे गैर–कृषि प्रयोजनों, जंगल, परती भूमि, जोती न जा सकने वाली भूमि आदि। दिल्ली में खेती के क्षेत्र में कमी का मुख्य कारण विशेषकर पिछले दो दशकों के दौरान तेजी से हो रहा शहरीकरण और रोजगार शैली में बदलाव है । इससे दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र के योगदान में कमी आयी है। दिल्ली में जमीन के उपयोग के स्वरूप के बारे में जानकारी तालिका 7.1 में दी गयी है।

4. फसल सघनता

4.1 फसल सघनता कृषि के विकास का सूचकांक है और इसका सीधा संबंध सिंचाई सुविधाओं से है। इसे सकल फसल क्षेत्र और विशुद्ध बुआई क्षेत्र के प्रतिशत अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है। अतः फसल सघनता का अर्थ है, एक कृषि वर्ष के दौरान एक ही खेत से उगाई जाने वाली फसलों की संख्या का बढ़ना। यदि एक वर्ष में एक फसल उगाई जाएगी तो फसल सघनता का सूचकांक 100 होगा और यदि दो फसलें उगाई जाएंगी तो यह 200 होगा। सूचकांक जितना अधिक होगा, भूमि उपयोग की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। फसल सघनता का सुनिश्चित सिंचाई के साथ प्रत्यक्ष सह–संबंध है, जो किसानों को अधिक फसलें उगाने और उर्वरकों तथा अधिक पैदावार देने वाले बीजों का अधिक इस्तेमाल करने में सक्षम बनाती है। पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में फसल सघनता के बारे में जानकारी विवरण 7.1 में दी गई है।

विवरण 7.1
2012–13 से 2021–22 के दौरान दिल्ली में फसल सघनता

(हैक्टेयर)

क्र. सं.	वर्ष	विशुद्ध बुआई क्षेत्र	सकल फसल क्षेत्र	फसल सघनता (प्रतिशत)
1.	2012-13	23,118	35,178	152
2.	2013-14	23,150	34,312	148
3.	2014-15	23,150	34,312	148
4.	2015-16	23,150	34,312	148
5.	2016-17	23,150	34,750	150
6.	2017-18	23,150	34,750	150
7.	2018-19	22,300	33,455	150
8.	2019-20	29,000	43,500	150
9.	2020-21	29,241	43,569	149
10	2021-22 (अनुमानित)	29,000	47,850	165

स्रोत : विकास विभाग, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार और दिल्ली सांख्यिकी पुस्तिका

चार्ट 7.1

दिल्ली में फसल सघनता

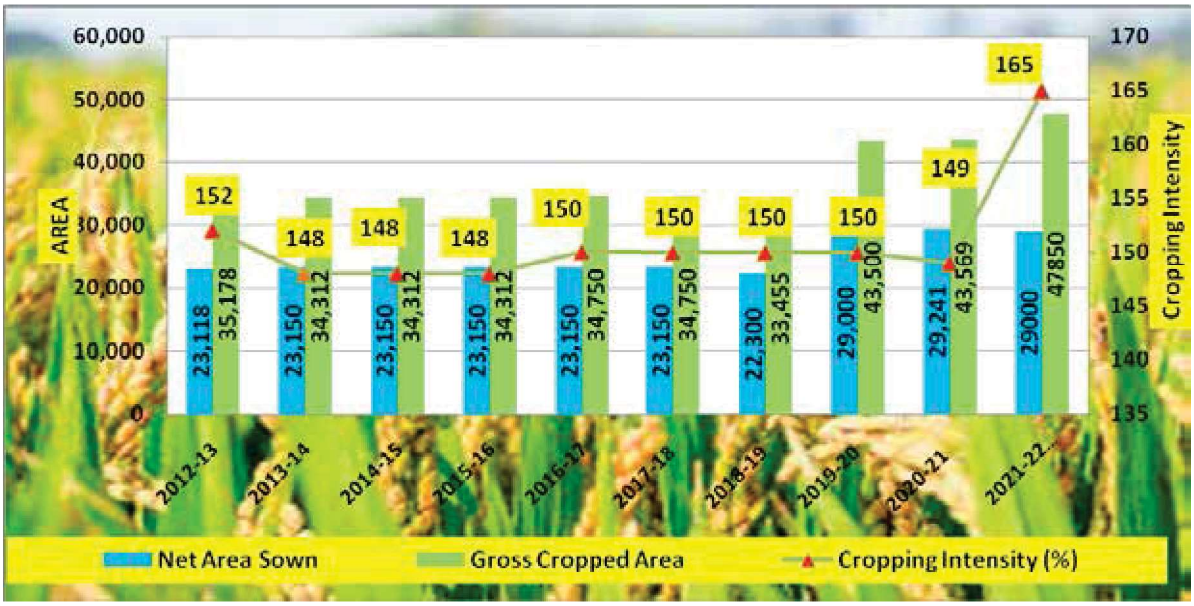

4.2 विवरण 7.1 में देखा जा सकता है कि फसल सघनता जो कि 2012–13 में 152 प्रतिशत थी वह 2021–22 (अनुमानित) में बढकर 165 प्रतिशत हो गई। इसके अलावा इस अवधि के दौरान अनाज की फसलों वाला क्षेत्र भी घटा है जबकि सब्जियों वाले क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। इससे पता चलता है कि भारत के तेजी से आगे बढ़ रहे विशाल शहरों में से एक होने के बावजूद, दिल्ली में सीमित उपलब्ध भूमि का महत्व कृषि गतिविधियों के लिए समझा जा रहा है।

5. फसल पद्धति

5.1 फसल पद्धति किसी जमीन पर बोई जाने वाली फसलों का क्रमिक संयोजन है। खरीफ में धान, ज्वार तथा बाजरा और रबी में गेहूं तथा सरसों दिल्ली की प्रमुख फसलें हैं। सब्जियों की खेती पूरे साल होती है। 2020–21 के दौरान कुछ चुनी हुई फसलों का क्षेत्र, उत्पादन और उपज संबंधी जानकारी नीचे विवरण 7.2 में दी गई है।

विवरण 7.2

2020–21 में दिल्ली में फसलों का क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता

क्रम सं.	फसल	क्षेत्र (हैक्टेयर)	उत्पादन (मीट्रिक टन)	उत्पादकता (कि.ग्रा प्रति हैक्टेयर)
1	गेहूं	19,180	83,631	4,360
2	जौं	50	150	3,000
3	बाजरा	1,325	5,340	4,030
4	मक्का	22	112	5091
5	धान	6,171	29,620	4,800
6	सरसों	3,650	7,300	2,000

स्रोत : विकास विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

5.2 विवरण 7.2 में देखा जा सकता है कि 2020–21 में दिल्ली की मुख्य फसल गेहूं थी । इसका क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज क्रमशः 19180 हैक्टेयर, 83631 मीट्रिक टन और 4360 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर थे। इसी अवधि के दौरान जौ, बाजरा, मक्का, धान और सरसों की उपज क्रमशः 3000, 4030, 5091, 4800, 2000 और कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर रही।

5.3 वर्तमान में वाणिज्यिक बागवानी और अधिक मूल्य वाली अन्य कृषि गतिविधियों की तुलना में पारम्परिक खेती से आमदनी बहुत कम है। इसीलिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार किसानों को सब्जियां, फूल और मशरूम आदि उगाने के लिए प्रेरित कर रही है।

6. किसान प्रशिक्षण

6.1 किसान प्रशिक्षण और शिक्षा केंद्र के कार्यक्रम के तहत 2020–21 के दौरान 1605 किसानों को 56 प्रशिक्षण और प्रदर्षन शिविरों में प्रशिक्षण दिए गए।

7. बागवानी/फूलों की खेती

7.1 बागवानी फलों, सब्जियों, मसालों, मशरूम और फूलों के उत्पादन से संबंधित प्रमुख विविध गतिविधि है। बागवानी निदेशालय जागरूकता लाने के लिए योजनाएं चल रहा है और फूलों तथा सब्जियों की खेती, वर्मी–खाद, जैविक खेती आदि के बारे में आधुनिक तकनीकों का प्रदर्षन कर रहा है। 2020–21 में 2632 किसानों को बागवानी/फूलों की खेती के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया और 94 किसान गोष्ठियां आयोजित की गईं। द्वारका, पटपड़गंज, हौजराानी, लिबासपुर, मसूदाबाद, चिल्ला और खारखारी नहर में नर्सरियां मुख्य रूप से सब्जियों के बीज तथा पौद, मशरूम उत्पादन, वर्मी कम्पोस्ट, सजावटी फूलों के पौधों, औषधीय पौधों आदि के विकास/उत्पादन से संबंधित हैं। दिल्ली में 2020–21 और 2021–22 (दिसबंर 2021 तक) में इनसे संबंधित उपलब्धियों को विवरण 7.3 और 7.4 के दर्षाया गया है।

विवरण 7.3
बागवानी/फूलों की फसलों का क्षेत्र और उत्पादन

क्र. सं	विवरण	2020-21		2021-22	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (दिसबंर 2021 तक)
1	बागवानी का क्षेत्र (हेक्टेयर)	6530	6723	6530	5645
2	सब्जियों का क्षेत्र (हेक्टेयर)	23500	24038	23500	22389
3	फलों और सब्जियों का उत्पादन (मीटिक टन में)	370500	369084	370500	289492
4	ग्राम सभा/ सामुदायिक/सरकारी भूमि पर रोपण (संख्या में)	1000	400	1000	1000

स्रोत : विकास विभाग, रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार
बागवानी इकाई, पर्यावरण विभाग, रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार

विवरण 7.4

बीजों, पौधों, पौद और वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन

क्र. सं	विवरण	2020-21		2021-22	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (दिसबंर 2021 तक)
1	सजावटी पौधे (संख्या में)	37000	24857	37000	37906
2	बलबस पौधों के बल्ब (संख्या में)	74000	4400	74000	3750
3	फूलों की पौद (संख्या में)	300000	285200	300000	217000
4	फूलों के बीज (कि.ग्रा. में)	60	40	60	38.95
5	सब्जियों की पौद (संख्या में)	600000	388500	600000	282950
6	सब्जियों की पौद (कि.ग्रा. में)	700	670	700	55
7	वर्मी कम्पोस्ट (कि.ग्रा. में)	30000	30715	30000	35650
8	औषधीय बालवृक्ष (संख्या में)	29800	13010	29800	20860

स्रोत : बागवानी इकाई, पर्यावरण विभाग, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार

7.2 दिल्ली में फसलों के क्षेत्र में निरंतर गिरावट के कारण, सब्जियों और जैविक फसलों की कम मृदा की खेती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हाइड्रोपोनिक्स की आधुनिक तकनीकों को लोकप्रिय बनाया जाएगा। इसी तरह, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन (एनबीएचएम–सीएसएस) को रा.रा.क्षे. दिल्ली में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य कृषि और गैर–कृषि परिवारों के लिए आय और रोजगार सृजन के लिए मधुमक्खी पालन उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देना, कृषि/बागवानी उत्पादन को बढ़ाना, ढांचागत सुविधाओं का विकास आदि करना था।

7.3 किसानों की आय तथा रोजगार और जनता की मांगों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, दिल्ली में फलों और सब्जियों के लिए एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला निर्माण परियोजना को, "एकीकृत विकास बागवानी मिशन" (एमआईडीएच) के साथ एकीकृत किया जाना है – सीएसएस, दिल्ली में पहले से ही कार्यरत है। इसका उद्देश्य बिचौलियों को हटाना और उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर तथा आसानी से सब्जियां और फल उपलब्ध कराना है।

8. मृदा परीक्षण और मृदा सुधार

8.1 रा.रा.क्षे.दिल्ली के किसानों के मृदा और जल नमूनों के परीक्षण के लिए सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। विवरण 7.5 में लिखित लक्ष्यों के संदर्भ में 2020–21 और 2021–22 (जनवरी, 2022 तक) के दौरान हासिल गतिविधियाँ/मापदंड निम्न प्रकार हैं:

विवरण 7.5

मृदा जांच और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना

क. सं	विवरणशून्य	2020-21		2021-22	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	मृदा नमूनों की जांच	400	408	400	408
2	जल नमूनों की जांच	45	59	45	04
3	जारी किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्ड	400	0	400	0

9. दिल्ली में सिंचाई

9.1 दिल्ली में सिंचाई मुख्य रूप से भूजल से और आंशिक रूप से सतही जल से होती है। भूजल से होने वाली सिंचाई उथले और गहरे सरकारी ट्यूबवैलों से होती है जबकि सतही जल से होने वाली सिंचाई कॉरोनेशन पिलर, ओखला और केशोपुर स्थित मौजूदा सीवेज उपचार संयंत्र में उपचारित पानी से होती है। इसके अलावा हरियाणा सरकार के नियंत्रण वाली पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली का पानी भी सिंचाई में इस्तेमाल किया जाता है।

9.2 दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में बड़ी तेजी से हो रहे शहरीकरण की वजह से सिंचाई के अंतर्गत खेती योग्य क्षेत्र दिन प्रतिदिन कम हो रहा हैं। दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी समूची दिल्ली के शहरीकरण का प्रस्ताव किया है। इसलिए भविष्य में सिंचाई क्षेत्र में किसी तरह की बढ़ोतरी संभव नहीं है। पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में सिंचाई और सिंचित क्षेत्र का स्रोतवार विवरण–7.6 में दिया गया है :

विवरण 7.6

दिल्ली में स्रोतवार सिंचित क्षेत्र – 2011–12 से 2020–21

(क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

क्रसं	स्रोत	2011-12	2012-13	2013-4	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	नहर	2225	2225	2225	2225	2218	2240	2246	2236	2235	2235
2.	कुएं	19561	19561	19561	19561	19533	19727	19777	19635	19635	22465
3.	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	20806	21786	21786	21786	21751	21967	22023	21871	21870	24700
4.	एक से अधिक फसल वाला सिंचित क्षेत्र	7875	7875	7875	7900	7678	7756	7775	7762	7760	14328
5.	सकल सिंचित क्षेत्र	29661	29661	29661	29661	29429	29723	29798	29633	29630	39028

स्रोत : रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार का राजस्व और विकास विभाग दिल्ली सांख्यिकी हैंडबुक, डीईएस,रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार

9.2 विवरण 7.6 से पता चलता है कि दिल्ली में सकल सिंचित क्षेत्र 2011–12 के 29661 हैक्टेयर था, जो 2020–21 में बढ़ कर 39028 हैक्टेयर हो गया। इसमें इस अवधि में 31.58 प्रतिशत की वृद्धि

दर्ज हुई। इसके अलावा इस दौरान सिंचाई के मुख्य संसाधनों–नहरों और कुओं से क्रमश' 2,235 और 22,465 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की गई।

9.3 दिल्ली में वर्षा, जल सिंचाई का एक अन्य प्रमुख स्रोत है। आमतौर पर यहां जुलाई, अगस्त और सितम्बर के तीन महीनों में वर्षा होती है। पिछले 15 वर्षों के दौरान दिल्ली में जुलाई, अगस्त और सितम्बर में वर्षा का ब्यौरा विवरण 7.7 में दिया गया है।

विवरण 7.7
दिल्ली में वर्षा (जुलाई से सितम्बर)

(मि.मी. में)

क्र.सं.	ब्यौरा	जुलाई	अगस्त	सितम्बर
1.	सामान्य	210.60	247.70	125.40
2.	2006	313.30	98.00	129.60
3.	2007	163.10	214.30	85.60
4.	2008	146.20	301.70	165.40
5.	2009	161.20	216.60	191.20
6.	2010	239.60	455.10	332.90
7.	2011	111.70	190.30	225.80
8.	2012	94.80	378.80	54.80
9.	2013	340.50	321.40	94.40
10.	2014	103.00	139.10	82.60
11.	2015	235.20	181.60	22.00
12.	2016	292.50	122.70	75.00
13.	2017	170.5	173.00	158.50
14.	2018	313.2	198.5	237.8
15.	2019	199.2	119.8	74.1
16.	2020	236.9	237.0	20.9

स्रोत : क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली
दिल्ली सांख्यिकी हैंडबुक

9.4 उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि 2010 में दिल्ली में इन तीन सालों में वर्षा सामान्य से अधिक हुई। हालांकि वर्ष 2007, 2014 और 2019 में इन तीन महीनों के दौरान सामान्य से कम वर्षा हुई। 2020 के सितम्बर में वर्षा सामान्य से काफी कम रही।

10. पशुपालन

10.1 दुनियाभर में पशुपालन आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है जो देश की अर्थव्यवस्था के विकास को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में प्रभावित करता है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें मुख्य रूप से खाद्य अथवा उत्पाद स्रोतों के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले घरेलु पशुओं की देखभाल की जाती है। रा. रा. क्षे. दिल्ली के एनसीटी में तेजी से हो रहे

शहरीकरण और भोजन/फैडी/चरागाह भूमि की सीमित उपलब्धता के कारण पशुपालन का दायरा लगातार कम होता जा रहा है। दिल्ली एक उपभोक्ता राज्य बन गया है जहां अन्य राज्यों से पशुधन और पशुधन उत्पादों की आपूर्ति की जा रही है। 20वीं पशुधन गणना (2019) के अनुसार पशुधन की संख्या 19वीं पशुधन गणना (2012) में 3,66,397 से घटकर 3,07,267 हो गई है। वर्तमान में पशुपालन इकाई 78 पशु चिकित्सा अस्पतालों, औषधालयों और प्रयोगशाला के नेटवर्क के माध्यम से पशुधन और साथी पशुओं को पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है।

10.2 2012 और 2019 में दिल्ली में पशुधन गणना के बारे में जानकारी विवरण 7.8 में दी गयी है।

विवरण 7.8

दिल्ली में पशुधन और इसमें वृद्धि : 2012 और 2019

क्र. सं.	पशुधन	पशुधन गणना (संख्या)		वृद्धि (प्रतिशत)	
		2012	2019	2012–2019 के दौरान (प्रतिशत)	प्रति वर्ष
1	गाय	86433	124638	44.2	6.31
2	भैंस	162142	157675	-2.75	-0.39
3	भेड़	932	2003	115	16.42
4	बकरियां	30470	17085	-44	-6.28
5	अन्य	86420	5866	-93	-13.28
	कुल	**366397**	**307267**	**-16.13**	**-2.30**

10.3 विवरण 7.8 से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दिल्ली में पशुधन में कमी आई है और 16.13 नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। भेड़ श्रेणी के पशुधन के मामले में पशुधन की उच्चतम वृद्धि प्रति वर्ष 16.42 प्रतिशत दर्ज की गई थी। इसी प्रकार, गायों के मामले में 6.31 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर, अन्य में उच्चतम नकारात्मक वृद्धि भी 13.28 प्रतिशत प्रति वर्ष, बकरियों में –6.28 प्रतिशत और भैंसों में –0.39 प्रतिशत प्रति वर्ष दर्ज की गई। पशुधन की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण कृषि और संबद्ध गतिविधियों में कमी और दिल्ली में तेजी से हो रहा शहरीकरण हो सकता है।

11. पशु चिकित्सा सुविधाएं

दिल्ली में पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए 48 सरकारी पशु चिकित्सालय, 29 पशु औषधालय, 1 प्रयोगशाला, 1 किसान सूचना केंद्र और 2 चल क्लिनिक हैं। मुख्य उद्देश्य संक्रामक/*संसर्गज* रोगों को नियंत्रित करना है जैसे हेमोरहाजिक सेप्टीसीमिया (गलघोटू) और मुंह तथा खुरपका, रेबीज आदि। पशुपालक किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। पालम में रोग निदान प्रयोगशाला में पशु रोग निदान सुविधा उपलब्ध है। नमूनों का परीक्षण निःशुल्क किया जाता है। सरकारी पशु चिकित्सा अस्पतालों / डिस्पेंसरियों में इलाज कराने वाले पशुओं की संख्या 2011–12 के दौरान 4.16 लाख से बढ़कर जनवरी 2022 4.25 लाख हो गई है। दिल्ली में प्रदान की जा रही पशु चिकित्सा सेवाओं की जानकारी विवरण 7.9 और 7.10 में प्रस्तुत की गई है।

विवरण 7.9

दिल्ली में 2011–12 से 2021–22 के दौरान पशुचिकित्सा सेवाएं

क्र.स.	वर्ष	पशु चिकित्सा सुविधाएं (संख्या)			उपचारित पशुओं की संख्या
		अस्पताल (एक वेटरिनरी पोलिक्लिनिक सहित)	औषधालय	प्रयोगशालाएं	
1	2011-12	46	28	2	415986
2	2012-13	47	28	1	391152
3	2013-14	47	28	-	378359
4	2014-15	47	28	-	367518
5	2015-16	47	28	2	412363
6	2016-17	47	28	2	438504
7	2017-18	49	26	2*	469474
8	2018-19	49	26	2*	460769
9	2019-20	48	29	2*	582242
10	2020-21	48	29	2*	511562
11	2021-22	48	29	2*	425216 (जनवरी 2022 तक)

**1 प्रयोगशाला और 1 किसान सूचना केंद्र*

स्रोत : रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार का विकास विभाग

विवरण 7.10

2020–21 और 2021–22 के दौरान भौतिक उपलब्धियां

क्र सं	गतिविधि	लक्ष्य 2020-21	उपलब्धि 2020-21	लक्ष्य 2021-22	उपलब्धि 2021-22 (जनवरी 2022 तक)
1.	बीमार पशुओं का उपचार (लाख में)	6.00	5.12	6.00	4.25
2.	हैमरेजिक सेप्टिसीमिया और एफएमडी रोग से बचाव के टीके	HS-2.5 lakh FMD- 2.5 lakh	29503 170950	HS-2.5 lakh FMD- 2.5 lakh	117051 102441
3.	कुत्तों के एंटी रेबीज़ टीके	1,00,000	46084	1,00,000	72418
	डीएचएलपीपीआई टीकाकरण	N.A.	18593	N.A.	16378
4.	गौसदनों में रखे गए पशु	22000	18262	22000	26431
5.	गौसदनों में रखे गए पशु	25000	19258	25000	11664
6.	प्रयोगशाला में जांच के मामले	5000	4081	5000	1828

स्रोतः पशु पालन निदेशालय, रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार

12. स्वायत्त/अनुदान सहायता प्राप्त संस्थान पशु कल्याण के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड (एसएबीएडब्ल्यू)

12.1 पशु कल्याण के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड (एसएबीएडब्ल्यू), रा.राज.क्षे.दिल्ली में विभिन्न पशु कल्याण गतिविधियों से संबंधित एनजीओ/एडब्ल्यूओ को अनुदान सहायता सहित अन्य संबंधित गतिविधियों के बारे में रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय है। बोर्ड डीएसपीसीए सहित एनजीओ/संस्थानों को मान्यता देता है और अनुरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, अनुत्पादक/परित्यक्त/व्यथित पशुओं के उपचार और अन्य संबंधित कल्याण गतिविधियों के लिए उन्हें अनुदान सहायता प्रदान करता है। बोर्ड, पीसीए अधिनियम, 1960 विशेष रूप से पीसीए (डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग) नियम, 2017/पीसीए (संपत्ति पशु की देखभाल और रखरखाव) नियम, 2017/पीसीए (पैट दुकान) नियम, 2018 के अंतर्गत बनाए गए विभिन्न नियमों के अनुपालन के लिए नियामक/निगरानी निकाय भी है।

12.2 जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए दिल्ली सोसायटी (एसपीसीए)

एसपीसीए, जानवरों के प्रति क्रूरता अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को लागू कर रहा है। तीस हजारी में डीएसपीसीए के तहत पशु चिकित्सा अस्पताल, बीमार / घायल और परित्यक्त जानवरों को आश्रय, भोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। डीएसपीसीए केस प्रॉपर्टी जानवरों को भी रखता है। यह जानवरों के प्रति प्रेम और करुणा के लिए जनता में जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। पीसीए अधिनियम, 1960 के तहत दिल्ली में अप्रैल 2021 सं जनवरी 2022 के दौरान लगभग 10210 जानवरों को बचाया गया और 189 वाहन जब्त किए गए।

12.3 गौशाला/गौसदन

दिल्ली कृषि मवेशी संरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 10 के अनुसरण में, वर्ष 1995 में 05 गौशालाओं/गौसदनों की स्थापना की गई। वर्तमान में, चार गौसदन (1) श्री कृष्ण गौसदन, सुल्तानपुर डबास (2) गोपाल गौसदन, हरेवाली (3) डाबर हरे कृष्णा गौसदन, सुरहेरा (4) मानव गौसदन, रेवला खानपुर चालू है और लगभग 17446 गायों और उनकी संतानों की देखभाल की जा रही है। एनजीओ द्वारा पशुओं की उचित देखभाल, पानी, आश्रय, उपचार आदि का ध्यान रखा जाता है। गौशालाओं में मवेशियों के स्वास्थ्य की देखभाल के उद्देश्य से रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार ने प्रति मवेशी 20/– रुपये प्रति दिन का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अंतर्गत 2021–22 में इन 4 गौसदनों को 8.60 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की गई।

13 मछली पालन

13.1 मात्स्यिकी इकाई का कार्य पंजाब मत्स्य उद्योग अधिनियम, 1914 और भारतीय मत्स्य उद्योग अधिनियम, 1897 के प्रावधानों के तहत मछली पकड़ने संबंधी गतिविधियों का नियमन करना तथा इसके विनाशकारी तौर–तरीकों और अंधाधुंध मछली पकड़ने पर रोक लगाना है। मछली के जीरे और मछलियों के उत्पादन के बारे में वर्षवार जानकारी विवरण 7.11 में दी गयी है।

विवरण 7.11

दिल्ली में 2011–12 से 2020–21 तक मछली जीरा

क्र सं	वर्ष	मछली जीरा उत्पादन (लाख में)	मछली उत्पादन (टन में)
1.	2011-12	13.00	740
2.	2012-13	15.25	690
3.	2013-14	18.25	680
4.	2014-15	16.20	675
5.	2015-16	16.20	710
6.	2016-17	16.15	740
7.	2017-18	20.00	801
8.	2018-19	2.02	785
9.	2019-20	15.00	860
10.	2020-21	-	758
11.	2021-22 (जनवरी 2022 तक)	-	560

स्रोत : रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार का विकास विभाग

13.2 दिल्ली में तीव्र शहरीकरण के कारण मत्स्य उद्योग गतिविधियों में भारी कमी आयी है, परन्तु अब भी उपलब्ध जल निकायों में मछली पालन की अच्छी संभावनाएं हैं। उच्च प्रौद्योगिकी मत्स्य पालन के लिए भी प्रचुर अवसर हैं, जिसके अंतर्गत बायोफलॉक कल्वर, री–सर्कुलेटरी ऐक्वा कल्वर सिस्टम (आर ए एस), सजावटी मछली ब्रीडिंग/मछली पालन और झींगा पालन आदि गतिविधियां शामिल हैं। इन गतिविधियों से किसानों की आय में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। इससे दिल्ली में स्थानीय शिक्षित युवाओं, मछुआरों, अ.जा./अ.ज.जा. समुदायों और उद्यमियों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। तदनुसार, विभाग ने वर्ष 2020–21 में सजावटी और मनोरंजक मत्स्य पालन के विकास की लाभार्थी उन्मुख परियोजनाओं को लागू किया है और 9 लाभार्थियों को 155.00 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत पर 27.10 लाख रुपये की सब्सिडी वितरित की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत मौजूदा वित्त वर्ष (2021–22) में 16 लाभार्थियों को बायो–फ्लोक कल्चर सिस्टम की स्थापना, पोस्ट हार्वेस्ट तथा कोल्ड चेन अवसंरचना की स्थापना और रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना के लिए कुल 231.25 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत पर ₹ 36.49 लाख की सब्सिडी वितरित की गई है।

14. ग्रामीण विकास

2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें से 369.35 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र. (24.91 प्रतिशत) था। दिल्ली की कुल आबादी का 2.5 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा था। जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था प्रगतिशील अवस्था में पहुंचती है, तो उसके साथ ग्रामीण क्षेत्र स्वतः शहरी क्षेत्रों में बदलने लगते हैं। नतीजतन गांवों की संख्या और ग्रामीण आबादी में कमी आती है। दिल्ली में गांवों की संख्या 1951 में 304 थी जो 2011 में घट कर 112 रह गई। पिछले 7 दशकों के बारे में गांवों, ग्रामीण आबादी की जानकारी विवरण 7.12 में दी गई है।

विवरण 7.12

दिल्ली की ग्रामीण आबादी : 1951–2011

क्र.स.	वर्ष	गांव (संख्या)	जनसंख्या		
			ग्रामीण	कुल	कुल में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत
1	1951	304	306938	1744072	17.60
2.	1961	276	299204	2658612	11.25
3.	1971	243	418675	4065698	10.30
4.	1981	214	452206	6220406	7.27
5.	1991	199	949019	9420644	10.07
6.	2001	165	944727	13850507	6.82
7.	2011	112	419042	16787941	2.50

स्रोत : दिल्ली सांख्यिकी हैंडबुक, 2021

15. दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड

15.1 कैबिनेट के दिनांक 13.11.2017 के निर्णय संख्या 2520 के अनुसार जारी दिनांक 20.12.2017 के आदेश के तहत दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड (डीआरडीबी) के स्थान पर दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड (डीवीडीबी) नाम का एक नया सलाहकार बोर्ड गठित किया गया है। इसका गठन दिल्ली में ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के गांवों का एकीकृत विकास करने के लिए किया गया है।

15.2 दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड दिल्ली के सभी ग्रामीण और शहरी गांवों में बुनियादी ढांचा विकास के बारे में वहां के निवासियों के अनुरोध पर निर्वाचित प्रतिनिधियों (संसद सदस्यों/विधायकों) के साथ विचार करता है । यह परियोजनाओं की प्राथमिकताओं के बारे में अनुशंसा करता है और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। बोर्ड के कार्यों में निम्नांकित शामिल हैं।

(क) दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा ढांचागत खामियों का अध्ययन करना।

(ख) परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर विचार करना और प्राथमिकता निर्धारित करते हुए तत्संबंधी अनुशंसा करना।

(ग) कार्यों के स्वरूप और यदि कोई अतिव्यापकता हो तो उसकी जांच करना,`, ताकि सेवाओं के प्रावधान में सुधार लाया जा सके और जनशिकायतों का निबटारा शीघ्र हो सके।

(घ) परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समय–समय पर समीक्षा करना और ऐसी परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में सरकार के विभिन्न संगठनों और विभागों के बीच कारग़र समन्वय के उपायों की सिफारिश करना।

(ङ) डीवीडीबी द्वारा रा.रा.क्षे. दिल्ली के ग्रामीण और शहरी गांवों में लाल डोरा क्षेत्रों के अंतर्गत सिजरा सड़कों तथा सरकारी भूमि पर सार्वजनिक सेवाओं के बारे में निम्नांकित प्रकार के कार्यों की अनुशंसा की जाएगी, परंतु, किसी भी तरह की अनधिकृत कालोनियों और डीयूएसआईबी के

अधिकार क्षेत्र में आने वाली पुनर्वास कालोनियों तथा झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों के बारे में बोर्ड अनुशंसा नहीं करेगा :

i) एप्रोच सड़कों/संपर्क सड़कों/ग्रामीण सड़कों का निर्माण।
ii) निकासी सुविधाओं का निर्माण।
iii) शमशान भूमि, पार्क, खेल के मैदान, व्यायामशाला, ग्राम पुस्तकालय आदि का विकास।
iv) तालाबों और जल निकायों का विकास।
v) चौपालों, बारातघरों, सामुदायिक केंद्रों का निर्माण/मरम्मत/रख–रखाव।
vi) पेयजल सुविधा, गलियों में प्रकाश आदि जरूरतों के अनुरूप अन्य कार्य।

15.3 कार्यों का निष्पादन यथासंभव भूमि/परिसंपत्ति स्वामित्व एजेंसी द्वारा किया जायेगा। कार्य संचालन ऐसी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जायेगा जिसने पहले उस कार्य को किया हो अथवा भूमि/परिसंपत्ति स्वामित्व एजेंसी/पूर्व में कार्य– निष्पादन करने वाली एजेंसी, जो भी लागू हो, से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद अन्य एजेंसी को सौंपा जाएगा।

15.4 डीवीडीबी की अभी तक 10 बैठकें हुई हैं और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए गए माननीय सांसदों/विधायकों के परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः–

क्र.स.	बैठक की तारीख	अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
1	29.12.2017	104	120.26
2	19.01.2018	349	434.17
3	12.02.2018	380	309.72
4	13.04.2018	132	126.71
5	23.05.2018	104	143.59
6	23.08.2018	278	211.58
7	14.12.2018	127	174.97
8	11.01.2019	95	105.31
9	09.10.2019	शून्य	शून्य
10	28.06.2021	शून्य	शून्य
	कुल	1569	1626.31

15.5 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के ग्रामीण और शहरी गांवों के लिए माननीय सांसदों/विधायकों द्वारा प्रस्तावित इन कार्यों का अनुमोदन डीवीडीबी द्वारा अपनी विभिन्न बैठकों में किया गया, जो लाल डोरा क्षेत्रों, सिज़रा सड़कों, ग्राम सभा भूमि सहित सरकारी भूमि पर सार्वजनिक सेवाओं के बारे में अनुषंसित किए गए थे।

डीवीडीबी की 8 बैठकों में स्वीकृत परियोजनाओं का एजेंसीवार संक्षिप्त ब्यौरा

क्र सं.	एजेंसियों का नाम	प्रस्तावित स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	राशि (करोड़ रु. में)	विकास विभाग द्वारा जारी ए/ए और ई/एस की सं.	स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)
1	आई एण्ड एफसी	1055	1279.79	590	646.59
2	ईडीएमसी	157	57.27	18	3.54
3	एनडीएमसी	157	75.77	84	47.89
4	एसडीएमसी	187	196.37	68	75.82
5	दिल्ली छावनी बोर्ड	3	9.09	1	5.15
6	डीजेबी	9	7.39	1	2.71
7	डीयूएसआईबी	1	0.63	-	-
	कुल	**1569**	**1626.31**	**762**	**781.70**

15.6 वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ग्रामीण विकास इकाई को 300 करोड़ रुपये का बजट आईडीआरयूवी योजना के लिए आवंटित किया गया। ग्रामीण विकास इकाई ने 2021–22 के दौरान (20.12.2021 तक) 131 परियोजनाओं/योजनाओं के लिए 84.22 करोड़ रुपये मंजूर किए।

17. ग्राम विकास समितियां (वीडीसी)

गांवों में उपलब्ध सुविधाओं, अपेक्षित सुविधाओं का मूल्यांकन करने के लिए आधार सर्वेक्षण करने में डीवीडीबी की सहायता करने और समग्र विकास की आवश्यकता वाले ग्रामीण/शहरी गांवों में प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान करने के लिए, डीवीडीबी द्वारा दिल्ली के प्रत्येक ग्रामीण और शहरी गांव के लिए ग्राम विकास समितियों (वीडीसीज़) का गठन कर सकता है। माननीय विधायकों की विधिवत अनुषंसा पर डीवीडीबी के अनुमोदन के बाद ग्राम विकास इकाई द्वारा अभी तक 320 समितियों के गठन के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं।